न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्या: **Jodhpur/225RTA/2019/008**

चेनसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत
निवासी हरढाणी, तहसी बावडी,
जिला जोधपुर

----- अपीलार्थी

ब

ना

म

1. भींयाराम पुत्र धूडाराम मेघवाल
2. बजरंगसिंह पुत्र चेनसिंह राजपूत नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता चेनसिंग पुत्र गुमानसिंह राजपूत
3. रिछपालसिंह पुत्र चेनसिंह राजपूत नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता चेनसिंग पुत्र गुमानसिंह राजपूत
4. जीवनसिंह पुत्र चेनसिंह राजपूत नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता चेनसिंग पुत्र गुमानसिंह राजपूत
5. अजमालसिंह पुत्र चेनसिंह राजपूत नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता चेनसिंग पुत्र गुमानसिंह राजपूत
6. मांगाराम पुत्र बीरमाराम जाति कुम्हार
7. रामप्यारी पत्नी बीरमाराम कुम्हार
8. मगनाराम पुत्र पेमाराम कुम्हार
9. भागीरथराम पुत्र पेमाराम कुम्हार
10. मदाराम पुत्र पेमाराम कुम्हार
11. मगाराम पुत्र पेमाराम कुम्हार
12. लालाराम पुत्र रिडाराम कुम्हार
13. भूरी पत्नी लूणाराम मेघवाल
14. चन्दाराम पुत्र लूणाराम मेघवाल
15. विशनाराम पुत्र लूणाराम मेघवाल
16. सुरजाराम पुत्र लूणाराम मेघवाल
17. विरदाराम पुत्र पनाराम कुम्हार
18. हेमाराम पुत्र पनाराम कुम्हार
19. चोलाराम पुत्र पनाराम कुम्हार
20. चौथाराम पुत्र पनाराम कुम्हार
21. लालाराम पुत्र पनाराम कुम्हार
22. दुडाराम पुत्र विंजाराम मेघवाल
23. अणदाराम पुत्र भेराराम मेघवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सभी निवासीगण हरढाणी, तहसील बावडी
जिला जोधपुर
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बावडी, जिला जोधपुर

-----प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलेक्टर बावडी दिनांक 14 जनवरी 2019 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 104/2018

----- 0 -----

उपस्थित-
अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई
प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद गौड

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर 2019

अपीलार्थी ने विद्वान सहायक कलेक्टर बावडी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 104/2018 भींयाराम बनाम चैनसिंह में पारित आदेश दिनांक 14 जनवरी 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17 जनवरी 2019 को पेश की है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक भींयाराम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र स्वयं की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 62 रकबा 9 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा हरढाणी तहसील बावडी तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण (अपीलाण्ट्स व अन्य रेस्पो.) की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 59, 59/2, 59/3 व 59/4 में से होकर रास्ते की याचना करते हुए प्रस्तुत किया, जिसका

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि मूल खसरा संख्या 59 की तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जनवरी 2019 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के जवाब बाबत कोई गौर ही नहीं किया गया है, अपीलाधीन आदेश मौका रिपोर्ट दिनांक 08 अगस्त 2018 को आधार मान कर पारित किया गया है, जबकि उक्त मौका रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि उक्त मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 59 कुल 16 भागों में विभक्त होना तथा उसकी तरमीम नहीं होना अंकित है, इस रिपोर्ट के संबंध में अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही उक्त रिपोर्ट अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गयी है, यहॉ तक कि अपीलाण्ट को उक्त मौका रिपोर्ट के संबंध में उज्र-एतराज पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 8 जनवरी 2019 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, तब मौका रिपोर्ट पर एतराज पेश करने का समय देते हुए उनकी उपस्थिति बता कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि अपीलाण्ट के अधिवक्ता द्वारा कोई बहस ही नहीं की गयी थी। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व व दिनांक 8 अगस्त 2018 से पूर्व 4 मई 2018 को मौका रिपोर्ट तलब की गयी थी, दोनों मौका रिपोर्ट में यह समान रूप से अंकित है कि खसरा संख्या 59 की तरमीम अंकित नहीं है और राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर कब्जा नहीं है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दोनों मौका रिपोर्ट्स के बारे में कोई विश्लेषण किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पो. द्वारा जिस खसरा संख्या 62 के लिए रास्ते की मांग की है, उस खसरा तक आवागमन के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग रेस्पो. स्वयं के परिवारजन की खातेदारी भूमि में से उपलब्ध है और ऐसी स्थिति में कानूनन नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों एवं अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब-प्रार्थनापत्र पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किया जावे।

जबाव में प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया गया रास्ता ही प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु सबसे निकटतम् दूरी का रास्ता है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी हो जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका देखने के पश्चात आलोच्य रास्ता ही प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु निकटतम् व लघुतम् पाया है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की तामील के पूर्व ही दिनांक 06 अप्रेल 2018 को मौका रिपोर्ट तलब की, जो रिपोर्ट दिनांक 4 मई 2018 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 62 पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट में रास्ता स्पष्ट नहीं होना अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26 जून 2018 के जरिये पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका रिपोर्ट तलब की गयी, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 08 अगस्त 2018 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज 73 पर उपलब्ध है। उक्त दोनों रिपोर्ट्स में यह स्पष्ट वर्णित है कि राजस्व रिकार्ड में वर्णित रकबे और मौके पर कब्जे में अंतर है, खसरा संख्या 59 की तरमीम नहीं होने का भी उल्लेख भी मौका रिपोर्ट में किया गया है। स्वयं प्रार्थी-रेस्पो. ने भी अपने प्रार्थनापत्र में खसरा संख्या 59 की तरमीम नहीं होने के तथ्य का उल्लेख किया है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम व निंकटत्तम् खसरा संख्या 59/3 में नजरी नक्शा में बिन्दु "ए" से बिन्दु "बी" दर्शाया गया है, उक्त खसरा राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज है। अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हळका पटवारी के साथ स्वयं मौका देखे जाने का भी उल्लेख किया गया है।

मगर इन सब के बावजूद भी यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-अप्रार्थी चेनसिंह की तामील होकर उसके अधिवक्ता द्वारा अण्डरटेकिंग दिनांक 4 जनवरी 2019 को दी गयी तथा वकालतनामा दिनांक 8 जनवरी 2019 को पेश किया गया साथ ही जबाब प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया, अर्थात उक्त दोनों फर्द मौका अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने के बाद। स्वभाविक है कि फर्द मौका तैयार किये जाने के समय अपीलाण्ट को मौके पर उपस्थित रह कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला, और न ही उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने तक प्रस्तुत फर्द मौका बाबत कोई उज्र-एतराज उसकी ओर से प्रस्तुत किया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को इसके बाद भी कोई अवसर इन मौका रिपोर्ट्स के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जो जबाब-प्रार्थनापत्र दिनांक 8 जनवरी 2019 को अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में अप्रार्थी-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत किया गया, उसके संबंध में कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा की गयी मांग के अनुसार जो रास्ता अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 59/3 में से बिन्दु "ए" से बिन्दु "बी" दिया गया है, उसका सिरा "ए" प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी के खसरा संख्या 62 से प्रारम्भ होकर दूसरा सिरा "बी" आगे कहाँ किस सार्वजनिक रास्ते से मिलता है, यह प्रार्थी-रेस्पो. के प्रार्थनापत्र अथवा अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश एक स्पीकिंग ज्युडिशियल ऑर्डर की श्रेणी में रखा जाने योग्य आदेश नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 जनवरी 2019 अपास्त किया जाता है। मौके पर जिस खसरा नम्बर में से रास्ता चाहा गया है उसकी तरमीम राजस्व रिकार्ड में नहीं है। तरमीम के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कौन-कौन सहखातेदार कहाँ-कहाँ पर काबिज काश्त है और उनकी जोत व विभाजित खसरा के बट्टा नम्बर क्या-क्या है। तरमीम के अभाव में रास्ता किसी सूरत में नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल खसरा संख्या 59/3 में ही रास्ता दिया है, जिसका निर्धारण तरमीम के बिना करना असम्भव है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 14/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर